अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 14/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 291(अ), तारीख द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) सारणी में, क्रम सं0 9, 9क, 10, 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) पैरा 2 की मद (ix) में, "9क, 10क," अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 56/2015-सीमाशुल्क, तारीख 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 964(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।